राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1145/2013/बाड़मेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, आबू रोड। .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स हीना फैल्थ, ई–294,
इण्डस्ट्रीयल एरिया, बालोतरा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक । .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.06.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, बालोतरा (जिसे आगे ''सशक्त अधिकारी'' कहा जायेगा द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स–द्वितीय), जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **24.12.2012,** जो अपील संख्या 43/आरवेट/सिरोही/2011–2012 के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध पेश की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) व 76(12) के तहत् आरोपित शास्ति **रू.44,742/–** को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, आबू रोड (जिसे आगे ''जांच अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक **26.08.2011** को वाहन संख्या एम.एच.04 ई.एल.–3202 जांच हेतु रोक गया। वाहन में परिवहनीत 'बॉल बियरिंग'' के संबंध में दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच बाद जांच अधिकारी द्वारा द्वारा यह अवधारित किया गया कि प्रस्तुत घोषणा प्ररूप वैट–47 क्रमांक 5651766 कालातीत है। अतः जांच अधिकारी ने उक्त कृत्य को अधिनियम की धारा 76(2) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 53(7) के प्रावधानों की अवहेलना के कारण, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् अभियोग दर्ज कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रेषित की गयी। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत घोषणा प्ररूप वैट–47

लगातार.....2

कालातीत होने के कारण अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपण हेतु जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से फर्म प्रबंधक द्वारा पूर्ण रूप से नया घोषणा प्ररूप वेट–47 क्रमांक 9275553 जारी तिथि दिनांक 05.08.2011 मय लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसे अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति **न44,742/–** आरोपित की गयी । जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी। जिसे इस अपील में चुनौती दी गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि प्रकरण में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा वक्त परिवहन माल के साथ घोषणा प्ररूप वैट–47 अवधि पार होने के कारण अपीलार्थी संशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् जो शास्ति आरोपित की है वह विधिसम्मत एवम् उचित है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **मै0 गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा0क0अ0,18 टैक्स अपडेट 321** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि माल परिवहन के दौरान दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना अथवा अपूर्ण होने पर, कर चोरी की मंशा को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है । अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अविधिक होने के कारण, इसे अपास्त कर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि कालातीत घोषणा प्ररूप वैट–47 प्रस्तुत करना मात्र एक तकनीकी त्रुटि थी जिसके संबंध में शास्ति आरोपित की है, वह विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अपने उक्त कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **120 एस.टी.सी. 212 मैसर्स महावीर चंद एण्ड सन्स, माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील क्रमांक 2505/2011/चुरू निर्णय दिनांक 08.01.2013, मैसर्स नेवेयर इन्टरनेशनल लि., कोटा बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, कोटा (2002) 1 आर.टी.आर. 149 निर्णय दिनांक 17.03.2002, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जोधपुर बनाम् मैसर्स जे.के.इण्डस्ट्रीज़, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आर.टी.आर. 26 के प्रकरणें में हुये निर्णयों को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवधि पार घोषणा प्ररूप की** प्रस्तुति को मात्र एक तकनीकी अनियमितता होना अवधारित किया है तथा उक्त विधिक स्थिति के आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित होने के कारण अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की

लगातार.....3

गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रकरण में स्पष्ट है कि माल प्रभारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के संलग्न घोषणा प्रपत्र वैट–47 प्रस्तुत किया गया था वह वक्त जांच कालातीत था परन्तु सुनवायी का अवसर दिये जाने पर प्रस्तुत जवाब के साथ नया वैद्य घोषणा प्ररूप वैट–47 प्रस्तुत कर दिया गया । माल के अन्य समस्त विहित दस्तावेज सही एवम् पूर्ण पाये गये थे । उक्त प्रकरण मैसर्स डी.पी.मेटल्स (124) एस.टी.सी. 611 के न्यायिक दृष्टांत के तथ्यों के अनुकूल हैं। इसके अलावा माननीय कर बोर्ड द्वारा भी **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जोधपुर बनाम् मैसर्स जे.के.इण्डस्ट्रीज़, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आर.टी.आर. 26** में अवधि पार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है । अतः इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवम् अविधिक है, जैसाकि इस संबंध में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है । उक्त न्यायिक निर्णय के विरूद्ध सिविल अपील (एस.एल.पी.) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो कमांक **12811/2000** पर दर्ज होकर, दिनांक **28.06.2000** को खारिज कर दी गयी है। चूंकि विवादित बिन्दु पर विधिक स्थिति ने अंतिमता ग्रहण कर ली है अतः, इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी के तर्क विधिसम्मत एवम् उचित है। लिहाजां, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित विधिक स्थिति के दृष्टिगत अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण किसी प्रकार के विधिक हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. परिणामतः, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय प्रसारित किया गया ।

4.6.2015

(मदन लाल)
सदस्य